कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर

विज्ञापन संख्या: 1/2012
दिनांक: 18/05/2012

कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा सार्वजनिक निर्माण विभाग– 2012 दिनांक 1 **जुलाई** 2012 को जयपुर में आयोजित की जावेगी। परीक्षा हेतु पूर्ण सूचना एवं विस्तृत विज्ञापन वेबसाईट http://exampwd.rajasthan.gov.in or http://pwd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं । आवेदक को Online Application Form भरने होगे ।

भर्ती हेतु पदों का विवरण :–

क्र सं	पदों का विवरण	कुल पदों की संख्या	समान्य पदों की संख्या				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)																Horizontal (क्षैतिज)		
							अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जन जाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग						
				महिला				महिला				महिला				महिला				महिला					
			सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	2सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) सिविल	**454**	162	45	18	4	52	14	5	1	39	10	4	1	68	19	7	1	4	–	–	–	13	56	9
2	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) सिविल	**114**	44	11	4	–	14	3	1	–	10	2	1	–	17	5	1	–	1	–	–	–	3	14	2
3	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) विद्युत	**14**	5	1	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
4	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) विद्युत	**4**	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Online Application Form भरने के अन्तिम तिथी 22 **जून** 2012 अपरान्ह 5.00 बजे तक हैं ।

पूर्ण विज्ञापन एवं सभी सम्बंधित विवरण **Website** **http://exampwd.rajasthan.gov.in** or **http://pwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं ।

18/5/12
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति0सचिव

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

–: विज्ञापन सं. 01/2012 :–
दिनांक : 18 मई 2012

कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती–2012

1. राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम 1973 एवं संशोधन 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) के पदों पर सीधी भर्ती–2012 के लिये, निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) दिनांक 23 मई 2012 से 22 जून 2012 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

विशेष नोट :–

I. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें । कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी । गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा।

II. विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम 1973 के नियम–16 के अनुसार विभाग के पास निहित रहेगा ।

III. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी ।

IV. आवेदन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथी एवं समय तक आवेदक द्वारा Online Application Form भरने तक की सभी प्रकिया पूर्ण करना आवश्यक हैं। आवेदन प्रकिया पूर्ण नहीं करने के लिए आवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा ।

V. आवेदक पात्रता के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है।

2. **आवेदन प्रक्रिया** :– आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे । ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं । Online Application Form राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है , इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/– की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) । कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रू 20/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी।

आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा करा कर वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** से स्वंय आवेदन भर सकता है । इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा एवं उसे एक टोकन संख्या उपलब्ध कराई जावेगी जिसका उपयोग कर वह स्वयं के स्तर पर आवेदन भरने की आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा ।

हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

परीक्षा शुल्क के ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से भुगतान के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन संख्या को ऑनलाइन फार्म में भरें।

अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवदेन–पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है ।

3. **प्रवेश पत्र** :– विभाग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदकों के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइनप्रवेश पत्र जारी किये जावेंगे तथा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा । सभी प्रवेश पत्र दिनांक 25-06-2012 तक वेबसाइट पर जारी कर दिये जावेंगे । यह सूचना अधिकृत वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी । आवेदक अपने आवेदन पत्र क्रमांक, जन्मतिथी एवं मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना का उपयोग कर अधिकृत वेबसाइट से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

4. **परीक्षा शुल्क** :– आवेद्रक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर/ऑनलाइन स्वयं के द्वारा, जमा करायेंगे ।

क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 500/– (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) ।

ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 250/– (अक्षरे रूपये दो सौ पचास मात्र) ।

ग) समस्त निःशक्त जन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 125/– (अक्षरे रूपये एक सौ पच्चीस मात्र)।

नोट :

I ई–मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले सभी आवेदकों को निर्धारित सेवा शुल्क रूपये 30/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि अतिरिक्त रूप से देनी होगी ।

II ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड करलें और उसे ऑनलाइन भरने से पूर्व हाथ से भरलें । यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा ।

III आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लेवे कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं ।

IV आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

V राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, जहॉ ई–मित्र तथा जन सुविधा केन्द (C.S.C.) नहीं हैं, वे वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूची के अनुसार उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं । सुविधा के लिये उनके दूरभाष नम्बर भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

1. <u>पदों का विवरण</u> :–

कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल / विद्युत (डिग्रीधारी / डिप्लोमाधारी)

क्र सं	पदों का विवरण	कुल पदों की संख्या	समान्य पदों की संख्या				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के) — अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जन जाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग				Horizontal (क्षैतिज)		
			सामान्य	महिला सामान्य	महिला विधवा	महिला परित्यक्ता	सामान्य	महिला सामान्य	महिला विधवा	महिला परित्यक्ता	सामान्य	महिला सामान्य	महिला विधवा	महिला परित्यक्ता	सामान्य	महिला सामान्य	महिला विधवा	महिला परित्यक्ता	सामान्य	महिला सामान्य	महिला विधवा	महिला परित्यक्ता	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) सिविल	**454**	162	45	18	4	52	14	5	1	39	10	4	1	68	19	7	1	4	–	–	–	13	56	9
2	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) सिविल	**114**	44	11	4	–	14	3	1	–	10	2	1	–	17	5	1	–	1	–	–	–	3	14	2
3	कनिष्ठ अभियंता (डिग्री) विद्युत	**14**	5	1	–	–	3	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
4	कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) विद्युत	**4**	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट :— (i) क्रम संख्या 3 के पदों में कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) (विद्युत) के लिए रोस्टर रजिस्टर के अनुसार 2 पद अनुसूचित जाति तथा 2 पद अनुसूचित जनजाति (कुल 4 पद) बैकलॉग के सम्मिलित किये गये हैं ।

(ii) क्रम संख्या 4 के पदों में कनिष्ठ अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) (विद्युत) के लिए रोस्टर रजिस्टर के अनुसार एक पद अनुसूचित जनजाति (कुल एक पद) बैकलॉग का सम्मिलित किया गया है।

नोट :

1. उपरोक्त पदों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व./निःशक्तजन/ महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं सहित) के अभ्यर्थियों का नियमानुसार आरक्षण होगा । राजस्थान की अन्य/विशेष पिछड़ी जाति की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है । अतः ऐसे आवेदक को सामान्य श्रेणी में माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य/विशेष पिछड़ी जाति की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं । राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा./वि.पि.जा. (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं ।

2. (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछडा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो से नहीं भरा जावेगा ।
   (ii) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा ।

3. विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Categorywise) होगा । महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजन किया जावेगा ।

   स्पष्टीकरण :— किसी वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता (Father) के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति (Husband) के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा ।

4. निःशक्त व्यक्तियों के लिए :— (अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शायी गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :—

Locomotor disability and cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.A.-One arm affected (R or L)

(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

O.L.- One leg affected (R or L)

(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

B.L.-Both legs affected but not arms

<u>Blindness or Low vision (B./L.V.)</u>

B- Blind L.V.- Low Vision

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा./वि.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा। निःशक्तजन के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा ।

उपरोक्त दर्शाये गये निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार उपयुक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जावेगा।

(स) निःशक्तजन आवेदक आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(द) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, को अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण और पूर्ण भागीदार) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तला का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है । 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

उपर्युक्त विज्ञापित पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दर्शाये गये आरक्षित क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा./सामान्य वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा । इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्ति को आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत नहीं किया जावेगा ।

स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय

ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो ।

6. **शैक्षणिक योग्यताऐं** :–

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अहर्ता । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
2	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिप्लोमाधारी	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो, 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
3	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिग्रीधारी	1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अहर्ता । 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।
4	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) डिप्लोमाधारी	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवृत्ति परीक्षा से छूट के प्रयोजन के लिए हो, 2. देवनागिरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

पद क्रम संख्या 1 से 4 के पदों की योग्यताओं के साथ निम्न परन्तुक भी लागू होगा कि :–
उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे विभाग द्वारा चयन हेतु परीक्षा की दिनांक 01 जुलाई 2012 तक अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा ।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगें जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक उपाधि/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं उपाधि/डिप्लोमा परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे आवेदक आवेदन पत्र के शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक कॉलम में "APP" का उल्लेख करें ।

<u>वेतनमान</u> ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि (2 वर्ष) के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा । परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही वेतनमान 9300–34800 (पीबी–2) ग्रेड पे 3200 (पद क्रम संख्या 1 से 4 के लिए) अनुज्ञात किया जायेगा, उच्चतर प्रारंभिक वेतन देय नहीं हैं।

<u>आयु</u> (पद क्रम संख्या 1 से 4 के लिए)
दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो एवं 37 वर्ष का नहीं हुआ हो । साथ ही निम्न परन्तुक भी लागू होंगे :

(i) सेवा में किसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति, आयु सीमा के भीतर समझे जावेंगे यदि वे उस समय, जब वे प्रारंभिक रूप से नियुक्त किये गये थे, और आयु सीमा के भीतर रहे थे, चाहे उन्होंने विभाग के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होते समय आयु सीमा पार कर ली हो, तब उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस रूप में पात्र हुए होते,

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(iii) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका हो और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था, लागू नहीं होगी,

(iv) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपर वर्णित कारावास की अवधि के बराबर छूट दी जायेगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था,

(v) कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा,

(vi) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40+ 2 = 42 वर्ष होगी,

(vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी,

स्पष्टीकरण :— विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

नोटः— अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान " **Non cumulative** " है अर्थात एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा, अपितु किसी भी एक प्रावधान का ही लाभ लिया जा सकता है ।

9. <u>जाति प्रमाण—पत्र :—</u>

(i) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उसके पिता के नाम से जारी प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा । पति के नाम से जारी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं है ।

(ii) राजस्थान के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जारी जाति प्रमाण—पत्र विचारणीय होंगे ।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र अर्थात् आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 6 माह पूर्व तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी हुआ होना चाहिए जिसमें क्रीमीलेयर / नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए । अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । इस वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता / माता के नाम / निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा ।

10. <u>नियुक्ति हेतु निरर्हता</u>

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.6.2002 को या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में

बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी की पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जावेगी ।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है ।

(iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान नहीं करलें । इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है ।

(iv) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है । तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(v) राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम 1973 एवं संशोधन 2011के नियम–21 में वर्णानुसार नियोजन के लिए अपात्र व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा ।

11. <u>पेन्शन</u> :–

दिनांक 1.1.2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

12. <u>विवाह पंजीयन :–</u>

आवेदकों के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र में पति/पत्नी का नाम उल्लेखित करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र या विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । (प्रारूप संलग्न)

13. <u>परीक्षा</u> :–

कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 1 जुलाई 2012 को दो पारियो में संभाग जयपुर मुख्यालय पर निम्न प्रकार आयोजित की जायेगी:–

(i)	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिग्रीधारी)	**प्रथम पारी प्रातः 9 से 11 बजे**
(ii)	कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत (डिग्रीधारी)	
(iii)	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमाधारी)	**द्वितीय पारी अपरान्ह 2 से 4 बजे**
(iv)	कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत (डिप्लोमाधारी)	

परीक्षा बहुविकल्पात्मक (ऑब्जेक्टिव टाईप) प्रश्न पत्रों पर आधारित होगी । प्रत्येक पद हेतु परीक्षा के पूर्णांक 100 होंगे तथा परीक्षा अवधि **2 घण्टे** की होगी । पूछे गए प्रश्नों के उत्तर काली बाल प्वाइंट पैन से निर्धारित ओ0एम0आर0 शीट में अभ्यर्थी द्वारा अंकित किये जायेंगे । उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जावेगा । गलत उत्तर से असत्य उत्तर या बहुविकल्प उत्तर अभिप्रेत है । 20 प्रतिशत प्रश्न एवं अंक पार्ट–ए एवं 80 प्रतिशत प्रश्न एवं अंक पार्ट–बी में से होंगे ।

14. कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/विद्युत (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम :–

(1) कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल (डिग्रीधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन – जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार – कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन – ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण– कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (रीति रिवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

-: CIVIL ENGINEERING:-

(i) Building Technology and Construction Management:
(ii) Fluid Mechanics:
(iii) Surveying, Estimating Costing & Field Engineering:
(iv) Transportation Engineering:
(v) Theory of Structures and Strength of Materials
(vi) Structural Analysis:
(vii) Soil Mechanics and Foundation Engineering:
(viii) Design of R.C.Concrete and Masonry Structures:
(ix) Design of Steel Structures:
(x) Rural Water supply and sanitation
(xi) Basic computer application

(2) कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल (डिप्लोमाधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन – जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार – कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन – ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण– कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (रीति रिवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

-: CIVIL ENGINEERING:-

(i) Building Technology and Construction Management:
(ii) Surveying, Estimating & Costing:
(iii) Strength of Matrials:
(iv) Reinforced Concrete Design:
(v) Transportation Engineering:
(vi) Soil Engineering:
(vii) Basic computer application:

(3) कनिष्ठ अभियन्ता – विद्युत (डिग्रीधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन – जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार – कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन – ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण– कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (रीति रिवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

-: ELECTRICAL ENGINEERING:-

(i) Basic Electrical Engineering:
(ii) Basic Electronic Engineering:
(iii) Measurement and Measuring Instruments:
(iv) Control Systems:
(v) Electrical Machines:
(vi) Power Systems:
(vii) Devices & Installations in Public Buildings:
(viii) Regulations & Practices for Energy Conservation and Building Services

(4) कनिष्ठ अभियन्ता – विद्युत (डिप्लोमाधारी)

Part-A

1. राज्य प्रशासन – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका
2. जिला प्रशासन – जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार – कार्य एवं भूमिका
3. स्थानीय प्रशासन – ग्रामीण एवं नगरीय
4. पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, जनप्रतिनिधिगण– कार्य एवं भूमिका
5. महात्मा गांधी नरेगा
6. राजस्थान की संस्कृति व धरोहर (रीति रिवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव)
7. राजस्थान का सामान्य भूगोल

Part-B

-: ELECTRICAL ENGINEERING:-

(i) Basic Electrical Engineering:
(ii) Electrical Installation & Design:

(iii) Electrical Estimating & Costing:
(iv) Electrical Machines:
(v) Electrical Measuring Instruments:
(vi) Switchgear & Protection:
(vii) Electrical Maintenance & Repair:
(viii) Generation:
(ix) Energy efficiency & Energy Conservation:
(x) Computer & Communiction Devices:

Pattern of Question Papers (for 1,2,3 & 4)

1. Objective Type Question Paper.
2. Maximum Marks: 100
3. Number of Questions: 100
4. Duration of Paper : Two Hours.
5. All Questions carry equal marks.
6. There will be Negative Marking. ?

7- 20 % Questions will be from Part-A and 80% questions from Part –B

15 चयन का आधार :–

कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल / विद्युत (डिग्री / डिप्लोमा) की आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की वरीयता अलग–अलग होगी तथा प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित वरीयता के क्रम में चयन किया जावेगा ।

समान वरीयता (Merit) प्राप्त करने वाले अर्थात दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों में अधिक आयु वाले को उच्च वरीयता क्रम प्रदान किया जावेगा । जन्मतिथि तथा प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थियों की उच्च शैक्षणिक योग्यता के क्रम में वरीयता निर्धारण की जावेगी । उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथी समान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी । उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण किये गये वर्ष के आधार पर वरीयता निर्धारित की जावेगी ।

16. आवेदन कैसे करें :–

(i) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नानुसार तैयारी रखें :–
(अ) आवेदक अपनी पासपोर्ट साईज नवीनतम एवं रंगीन फोटो जे.पी.ई.जी. (अधिकतम 100 के.बी.) की स्केन करें ।
(ब) स्केन की गई नई फोटो जे.पी.ई.जी को अपलोड करें ।
(स) आवेदक अपने हस्ताक्षर एवं बांये हाथ के अंगूठे के निशान (अधिकतम 100 के.बी.) स्केन कर अपलोड करें ।
(द) आवेदक वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों का सावधानी से अवलोकन करें ।

(ii)आवेदन पत्र प्राप्ति :– कनिष्ठ अभियन्ता – सिविल / विद्युत (डिग्रीधारी / डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती परीक्षा 2012 के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

(iii) आवेदन पत्र जमा कराना :— आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की ऑनलाइनसही पूर्ति करें ।

(iv) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें ।

नोट :— राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

17. अन्य

1. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जावेगी । दस्तावेजों की वैधता की जाँच परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरान्त की जावेगी एवं इसमें किसी प्रकार की कमी/गलती पाये जाने पर आवेदक का चयन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वंय आवेदक का होगा ।
2. ऐसे किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा ।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, उक्त पदों हेतु आवेदन नहीं कर सकते ।
4. जो आवेदक पहले से राजकीय सेवा में/राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में/किसी प्रकार के अन्य संगठनों में/गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, उन्हें नियुक्ति के समय अपने उस नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण—पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उपक्रमों इत्यादि में कार्यरत हैं, उन्हे अपने नियोक्ता को इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

18. कृपया ध्यान देवें :—

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 22 जून 2012 सांय 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे । तत्पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम स्वतः ही बन्द हो जायेगा । ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियॉ पूर्ण एवं सही नहीं होने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा । ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए जिम्मेदारी आवेदक की होगी । आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त इसमे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस बाबत प्रस्तुत किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा ।

2. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ सम्बन्धित सेवा नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लेवें ।
3. विभाग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है ।
4. सामान्यतः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान के निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति, जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें विभाग को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचित साधनों की रोकथाम : परीक्षार्थियों को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा । ऐसा ना करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध विभाग/ केन्द्राधीक्षक/परीक्षा नियंत्रक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा उन परीक्षार्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।
6. परीक्षार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रृटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टों (3 दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत कर दे । नियत समय पर प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी । तीन दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा ।
7. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आयेंगे । परीक्षार्थी अपने साथ साथ परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पैन, पेंसिल, प्रवेश पत्र या निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है । यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक की भी नहीं होगी ।
8. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं हैं । इन अनुदेशो का उल्लधन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित वैधानिक कार्यवाही की जा सकती हैं ।

9. इस सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट **http://exampwd.rajasthan.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

10. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति.सचिव
सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर

प्रपत्र–6

–: शपथ पत्र :–

मैं ____________________ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती __________________ निवासी __________________________________ शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री ________________ निवासी ____________________________ के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ________ को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है ।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री ________________ निवासी __________________________ के साथ दिनांक _________ को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मैं ________________ अविवाहित हूं ।

या

मैं ________________ विधुर/विधवा हूं (पत्नि/पति श्री/श्रीमती ______________) ।

या

मैं तलाकशुदा हूं (प्रमाण–पत्र संलग्न है) ।

या

मैं परित्यक्ता हूं एवं मेरा विवाह श्री _______________ के साथ दिनांक __________ को सम्पन्न हुआ था ।

हस्ताक्षर शपथ कर्ता

Public Works Department, Rajasthan

Token Number	Application ID	

1. Exam Details / परीक्षा का विवरण

Examination / परीक्षा	
Post / पद	
Name of Exam Center / परीक्षा केन्द्र का नाम	Jaipur

2. Applicant's Detail / आवेदक का विवरण

Applicant's Full Name /आवेदक का पूरा नाम			
Applicant's Father Full Name /आवेदक के पिता का पूरा नाम			
Applicant's Mother Full Name /आवेदक की माता का पूरा नाम			
Date of Birth / जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)		Gender /लिंग	
Marital Status / वैवाहिक स्थिति		Category / मुख्य श्रेणी	
Children (as on today)/ बच्चो की संख्या		Children (Prior to 01/06/2002) / बच्चो की संख्या	
Home State (Bonafide Resident) / गृह राज्य (वास्तविक निवास)			
Home District (If Rajasthan) / गृह जिला (यदि राजस्थान राज्य से हो)			

3. Other Special Categories / अन्य विशेष श्रेणिया

Category for Disabled Candidates / निःशक्त अभ्यार्थी के लिए श्रेणी	
Other Category / अन्य श्रेणी	

4. Correspondence Details / पत्राचार का विवरण

Address / पता	
Phone with STD Code / दूरभाष एस टी डी कोड सहित	
Mobile / मोबाइल	
Email / ईमेल पता	

5. Educational & Professional Qualifications / शेक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताए

6. Technical Qualifications / शेक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताए

7. Identification / पहचान

7.1. Body Mark / शरीर पर निशान	

8. Disclaimer / घोषणा

I hereby declare that all information made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of my information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the , action can be taken against me by the Rural Development & Panchayati Raj Department (Panchayati Raj). I have read the provisions of the relevant rules and the Advertisement carefully and i hereby undertake to abide by them. I further declare that i fulfill all the conditions of eligibility regarding age limit, educational qualifications etc. prescribed for admission to the

Left Hand Thumb Impression / बाए हाथ के अंगूठे का निशान

Signature of Applicant / हस्ताक्षर